



2026:AHC:67727

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 9981 वर्ष 2026

मोइद अहमद आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अंजुम परवीन, सिद्धार्थ जायसवाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 67

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता सुश्री अंजुम परवीन, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन केस अपराध संख्या-84 वर्ष 2025 में धारा 103(1), 238, 61(2) बी.एन.एस., थाना-कलेक्टरगंज, जिला कानपुर नगर के तहत विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी में, आवेदक को आशंका और संदेह के आधार पर आरोपियों में से एक के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, यह पाया गया कि आवेदक अपना एरिक्शा चला रहा था और सह-आरोपी कल्लन मृतक सरफराज के साथ बैठा था। इसके बाद, यह पाया गया कि सह-आरोपी कल्लन मृतक का पीछा कर रहा था, हालांकि शुरू में आवेदक भी उस तरफ गया लेकिन तुरंत वह वापस आ गया और इस तथ्य को चश्मदीद गवाह मो. राजा के बयान से विधिवत पुष्टि हुई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक का शव सी.पी.सी. गोदाम से बरामद किया गया था, जहां सह-आरोपी कल्लन ने पैसे को लेकर झगड़ा होने के बाद मृतक का पीछा किया था, इसलिए, आवेदक ने कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध नहीं किया है। आवेदक के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। आवेदक के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। आवेदक का प्रस्तुत मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उसे गुप्त उद्देश्य के कारण प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 29.10.2025 से जेल में है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और भीड़भाड़ वाली जेलों और अवर न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले** के जनादेश पर विचार करना और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- मोइद अहमद को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।



ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रिल०) संख्या-4 वर्ष 2021 31.01.2023 को तय की गई (2024)10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट की गई, संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

मार्च 31, 2026

सीएस/-

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)